

कार्यालय  
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फ़ैक्स: 05962-232182 ई-मेल [almoraforestdivision@rediffmail.com](mailto:almoraforestdivision@rediffmail.com)

पत्रांक 1371 / 12102 दिनांक, अल्मोड़ा 03-09-2015

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,  
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।


विषय:- चितई पन्त तिराहे से हरीदत्त पेटशाली रा0ई0का0 मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव सं0 9220/2015)

महोदय,

संदर्भित पत्र के क्रम में अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 की पत्र सं0 1448/3सी0 दिनांक 21.08.2015 एवं पत्रांक 1532/3सी0 दिनांक 02.09.2015 से बिन्दु सं0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की आपत्ति निराकरण सूचना इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। जिसे मूल में मय संलग्नकों सहित आपको भेजा जा रहा है। बिन्दु सं0 2 - प्रस्तावित वन भूमि दिनांक 22.09.2012 को चयनित की गयी है। बिन्दु सं0 10 - वर्किंग प्लान के अनुसार आरक्षित वन सिराड क0सं0 4 का सकल क्षेत्रफल 3.8 है0 है। जिसमें 0.17 है0 भूमि मार्ग निर्माण में आ रही है। बिन्दु सं0 11- आरक्षित वन सीमा के अन्तर्गत मार्ग निर्माण होने के कारण सीमा से दूरी पार्ट-2 में शून्य अंकित की गयी है। कृपया उक्त प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :- यथोक्त।

भवदीय,

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रक्रिया-30.1

विनोद कुमार-6

1.6

ANNEXURE-1

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT ALMORA (U.K)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under  
schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act  
(FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 01.12.14.....at time 11:00 AM at Almora in which application claiming rights in **Chatai Pant** area measuring **2.43875 hec.** for the **Construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Almora** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

  
01.12.14  
Deputy Commissioner cum Chairman  
District Level Committee

  
जिला सहायक कल्याण अधिकारी  
अल्मोड़ा

प्रासप 30

जिला-6

JK

**FORM-1**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector: Almora**

No.....

Dated...29/09/2014.....

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5<sup>th</sup> feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2.438 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D Almora Uttarakhand for Construction of Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college Link Motor Road (8.00 km.) Construction Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli. Punakot. Petshal Village (s) in Almora tahsils.**

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.438 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.

Encl: As above

  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
कल्पोड़ा

  
29-09-14  
Signature  
(Vinod Kumar Suman)  
District Collector  
जिला अधिकारी  
कल्पोड़ा.

It is further certified that

| S.No. |   | Remarks   |
|-------|---|---|
| (a)   | The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2,438 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure I to annexure. | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.  |
| (b)   | The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.   | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file |
| (c)   | The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities   | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.  |

Encl: As above

प्र.जिला समाज कल्याण अधिकारी  
धरमोड़ा

Signature  
(Vinod Kumar Suman)  
District Collector  
जिला अधिकारी  
धरमोड़ा.

विनोद कुमार - 6  
1.C

**FORM-II**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector: Almora**

No.....

Dated..1-12-14.....

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 2.43875 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D. Almora for Construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road in Almora district falls within jurisdiction of Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli. Punakot. Petshal Village (s) in Almora tahsils**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.43875 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure ..... to annexure.....
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli. Punakot. Petshal** villages (s) is enclosed as annexure .....
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

**Encl: As above**

Vinod Kumar Suman  
District Collector, Almora

बिला समाज कल्याण अधिकारी  
धरमोड़ा

प्रपत्र-23.2 / प्रारूप 30.2

वि.सं.सं. 1.6

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त  
पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।  
(लम्बाई 6.00 किमी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से  
हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी०)  
(0.2700 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.99875 हे० सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि 0.17 हे०  
अर्थात् कुल 2.43875 हे० वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में  
हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की  
मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सोमेश्वर) की दि. 24/09/05  
को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक  
श्री. श्री. रिकू. बिष्ट उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की  
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री. श्री. रिकू. बिष्ट उपजिलाधिकारी, अल्मोड़ा अध्यक्ष
- 2- श्री भगवत सिंह जीना, उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य
- 3- ..... सहायक समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा, सदस्य/सचिव
- 4- श्री. चन्दन. सिंह रौत, बी०डी०सी० क्षेत्र प्रि.पंत. प्रि. प्रि. सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की  
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद  
अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का  
निर्माण कार्य नि०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु  
प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित  
नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक  
उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित  
जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम  
2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम,  
2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम  
सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार  
समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।



प्रपत्र-23/खण्ड-303

लिंक रोड का निर्माण

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त  
पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।  
(लम्बाई 6.00 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम-

तहसील-

जिला-अल्मोड़ा

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु 0.2700 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.99875 हे० सिविल सोराम भूमि तथा वन पंचायत भूमि 0.17 हे० अर्थात् कुल 2.43875 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चितई तिराहे द्वारा दि. 22/09/05 को सम्मन ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चितईतिवारी, चितई पन्त, मन्योली, पूनाकोट, पेटशाल, बाडी आदि ग्रामों के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
क्षेत्र- चितई तिराहे  
ग्राम सचिव, जनपद अल्मोड़ा (अल्मोड़ा)

प्रधान  
ग्राम प्रधान, चितई तिराहे  
विकास खण्ड, अल्मोड़ा  
जिला-अल्मोड़ा



प्रपत्र-23.1/प्ररूप-30A

वि.सं. 1.6

दिनांक 22/02/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर   |
|---------|--|-------------|
| 1       | कलश राम  | कलश राम     |
| 2       | गोविन्द राम                                      | गोविन्द राम |
| 3       | देव राम  | देव राम     |
| 4       | मनोप कुमार                                       | मनोप कुमार  |
| 5       | दिवर सिंह  | दिवर सिंह   |
| 6       | हरि सिंह   | हरि सिंह    |
| 7       | गिरीश लाल  | गिरीश लाल   |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
कोट-वि.सं. 1.6  
वि.सं. 1.6-हवालदाप (समयोपयोग)

ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
वि.सं. 1.6-हवालदाप  
वि.सं. 1.6-हवालदाप

दिनांक 22/02/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर     |
|---------|--|---------------|
| 1       | दिवान सिंह                                       | दिवान सिंह    |
| 2       | नाथू सिंह  | नाथू सिंह     |
| 3       | देवेंद्र सिंह                                    | देवेंद्र सिंह |
| 4       | गोपाल सिंह                                       | गोपाल सिंह    |
| 5       | मैथिल सिंह                                       | मैथिल सिंह    |
| 6       | हर सिंह  | हर सिंह       |
| 7       | नवीन चंद्र                                       | नवीन चंद्र    |
| 8       | गैहरा सिंह                                       | गैहरा सिंह    |
| 9.      | जगत family                                       | जगत सिंह      |

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
क्षेत्र - विगतरी विधानसभा  
जिला - नवलपरासी (महमोदी)

ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत - विगतरी  
जिला - नवलपरासी (महमोदी)

प्रपत्र-23

वि.सं.संख्या-16

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त  
पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।  
(लम्बाई 6.00 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम-

तहसील-

जिला-अल्मोड़ा

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त  
पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी०)  
परियोजना के निर्माण हेतु 0.2700 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.99875 हे० सिविल सोराम भूमि तथा  
वन पंचायत भूमि 0.17 हे० अर्थात् कुल 2.43375 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग  
विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु  
आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चितई तिराही द्वारा दि. 21/09/01  
को सम्मान ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के  
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर  
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया  
गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं  
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के  
परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से  
निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चितईतिवारी, चितई पन्त, मन्थोली,  
पूनाकोट, पेटशाल, बाड़ी आदि ग्रामों के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड,  
लो०नि०वि० अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति  
नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत अधिकारी  
नाम- चितई तिराही  
जिला अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत चितई तिराही  
विकास विभाग, पेटशालबाग  
जिला- अल्मोड़ा

प्रपत्र-23

वि.सं.संख्या-6/1.6

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त  
पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।  
(लम्बाई 6.00 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम-

तहसील-

जिला-अल्मोड़ा

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु 0.2700 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.99875 हे० सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि 0.17 हे० अर्थात् कुल 2.43375 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चितई पन्त द्वारा दि. 22/07/2011 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चितईतिवारी, चितई पन्त, मन्योली, पूनाकोट, पेटशाल, बाड़ी आदि ग्रामों के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम सचिव क्षेत्र- चितई पन्त  
वि.सं.संख्या-6/1.6-हवालदाग (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान

प्रधान v. Pant

ग्राम पंचायत चितई पन्त  
वि.सं.संख्या-6/1.6-हवालदाग (अल्मोड़ा)

प्रपत्र-23.1

वि.सं. 1.6

दिनांक 22/02/2011 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर     |
|---------|--|---------------|
| 1       | इशिका लाल  | [Signature]   |
|         | मोहन लाल   | गिरीश राम     |
|         | जगदीश प्रसाद                                     | [Signature]   |
|         |  | वशु लाल       |
|         | मनित लाल   | मनित लाल      |
|         | मनोहर लाल  | मनोहर लाल     |
|         | नन्दलाल लाल                                      | पूरुष राम     |
|         | [Signature]                                      | बलकृष्ण कुमार |
|         | [Signature]                                      | राम लाल       |

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
क्षेत्र - चित्तौड़गढ़  
वि.सं. 1.6 (नवम्बर 2011)

ग्राम प्रधान  
प्रधान V. Pant  
ग्राम पंचायत, चित्तौड़गढ़  
वि.सं. 1.6 (नवम्बर 2011)

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त  
पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।  
(लम्बाई 6.00 किमी)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद-अल्मोड़ा के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित  
जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक  
लिंक मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 2.43375 हे० वन भूमि नि०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा  
(प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड  
स्तरीय वन अधिकार समिति ..... तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त  
अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व  
संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व  
वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों  
पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि  
में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
अल्मोड़ा

4/3/14  
जिला अधिकारी  
अल्मोड़ा

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरि दत्त पेटशाली इण्टर कालेज तक लिंक मार्ग का निर्माण।

(लम्बाई 8 किमी०)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में तहसील अल्मोड़ा के अन्तर्गत चितई पन्त तिराहे से हरि दत्त पेटशाली इण्टर कालेज तक लिंक मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु 2.438 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
अल्मोड़ा

29.09.14  
जिलाधिकारी  
अल्मोड़ा

प्रपत्र-42

परियोजना विवरण :-जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के वितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी०)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र  
क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण स्थल का नाम :-कालनू

क्षेत्रफल (है०)

4.8775

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (1100 पौधे/है०)

5365

1100

| क्र० सं०           | कार्य का नाम   | इकाई (है०/सं०) | इकाई दर (₹) | योग       |
|--------------------|--|----------------|-------------|-----------|
| 1                  | 2  | 3              | 4           | 5         |
| 1                  | सर्वे एवं सीमांकन  | 4.8775         | 97.00       | 473.12    |
| 2                  | क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि कार्य)   | 4.8775         | 950.00      | 4633.63   |
| 3                  | अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग)   | 4.8775         | 10150.00    | 49506.63  |
| 4                  | मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिकी कार्य हेतु प्राविधान   | 4.8775         | 5500.00     | 26826.25  |
| 5                  | गड़ड़ा खुदान (0.30X0.30X0.45)  | 5365           | 7.33        | 39327.28  |
| 6                  | निरीक्षण बटिया बनाना   | 4.8775         | 485.00      | 2365.59   |
| 7                  | पौधों का मूल्य   | 5365           | 5.89        | 31601.32  |
| 8                  | अन्य व्यय जैसे यंत्र, सयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्य पर व्यय  | 4.8775         | 400.00      | 1951.00   |
| 9                  | अन्य कार्य   | 4.8775         | 250.00      | 1219.38   |
| योग :- (प्रथम चरण) |  |                |             | 157904.19 |
| द्वितीय चरण        |  |                |             |           |
| 1                  | गड़ड़ा भरन (0.30X0.30X0.45)  | 5365           | 1.15        | 6170.04   |
| 2                  | पौधों का मूल्य   | 5365           | 1.15        | 6170.04   |
| 3                  | पौधे ढुलान कार्य   | 5365           | 6.39        | 34283.95  |
| 4                  | पौधा रोपण व धावलाबन्दी   | 5365           | 2.06        | 11052.42  |
| 5                  | निराई, गुड़ाई व मल्लिग (दो बार)  | 5365           | 0.76        | 4077.59   |
| 6                  | खाद व दवा पर व्यय  | 4.8775         | 420.00      | 2048.55   |
| 7                  | वृक्षारोपण क्षेत्र में अनुरक्षण पर व्यय  | 8 Month        | 5150.00     | 41200.00  |
| 8                  | वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत   |                |             |           |
| 8.1                | सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०  | 4.8775         | 350.00      | 1707.13   |
| 8.2                | सुरक्षा दीवाल/घेरबाद के बाहर 4मी० की पट्टी साफ करना  | 4.8775         | 190.00      | 926.73    |
| 8.3                | वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्सान देना  | 4.8775         | 560.00      | 2731.40   |
| 9                  | अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौधे ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा के बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूमेन्टेशन आदि कार्य | 4.8775         | 450.00      | 2194.88   |

21/



|                                       |  |         |         |           |
|---------------------------------------|--|---------|---------|-----------|
| 10                                    | अन्य कार्य   | 4.8775  | 150.00  | 731.63    |
| कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण         |  |         |         | 113294.33 |
| वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव   |  |         |         |           |
| 1                                     | रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य   | 8 Month | 5100.00 | 41200.00  |
| 2                                     | 2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील प्रदार्थों को हटाना प्रति है०   | 4.8775  | 260.00  | 1268.15   |
|                                       | 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना  | 4.8775  | 215.00  | 1048.66   |
|                                       | 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना | 4.8775  | 450.00  | 2194.88   |
| 3                                     | अन्य कार्य   | 4.8775  | 200.00  | 975.50    |
| योग :- (प्रथम वर्ष रख-रखाव)           |  |         |         | 46687.19  |
| वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव |  |         |         |           |
| 1                                     | रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य   | 8 Month | 5100.00 | 41200.00  |
| 2                                     | अन्य कार्य   | 4.8775  | 200.00  | 975.50    |
| योग :- (द्वितीय वर्ष रख-रखाव)         |  |         |         | 42175.50  |
| वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव   |  |         |         |           |
| 1                                     | रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य   | 8 Month | 5100.00 | 41200.00  |
| 2                                     | अन्य कार्य   | 4.8775  | 200.00  | 975.50    |
| योग :- (तृतीय वर्ष रख-रखाव)           |  |         |         | 42175.50  |
| वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव  |  |         |         |           |
| 1                                     | रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य  | 8 Month | 5100.00 | 41200.00  |
| 2                                     | अन्य कार्य   | 4.8775  | 200.00  | 975.50    |
| योग :- (चतुर्थ वर्ष रख-रखाव)          |  |         |         | 42175.50  |
| वृक्षारोपण का पांचवें वर्ष का रख-रखाव |  |         |         |           |
| 1                                     | रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य   | 8 Month | 5100.00 | 41200.00  |
| 2                                     | अन्य कार्य   | 4.8775  | 200.00  | 975.50    |
| योग :- (पांचवें वर्ष रख-रखाव)         |  |         |         | 42175.50  |
| वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव     |  |         |         |           |
| 1                                     | रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य   | 8 Month | 5100.00 | 41200.00  |
| 2                                     | अन्य कार्य   | 4.8775  | 200.00  | 975.50    |
| योग :- (छठे वर्ष रख-रखाव)             |  |         |         | 42175.50  |
| वृक्षारोपण का सातवें वर्ष का रख-रखाव  |  |         |         |           |
| 1                                     | रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य   | 8 Month | 5100.00 | 41200.00  |
| 2                                     | अन्य कार्य   | 4.8775  | 200.00  | 975.50    |
| योग :- (सातवें वर्ष रख-रखाव)          |  |         |         | 42175.50  |
| वृक्षारोपण का आठवें वर्ष का रख-रखाव   |  |         |         |           |
| 1                                     | रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य   | 8 Month | 5100.00 | 41200.00  |
| 2                                     | अन्य कार्य   | 4.8775  | 200.00  | 975.50    |
| योग :- (आठवें वर्ष रख-रखाव)           |  |         |         | 42175.50  |



निं-संस्था-8

| वृक्षारोपण का नवें वर्ष का रख-रखाव  |   |         |         |           |
|-------------------------------------|---|---------|---------|-----------|
| 1                                   | रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य    | 8 Month | 5100.00 | 41200.00  |
| 2                                   | अन्य कार्य  | 4.8775  | 200.00  | 975.50    |
| योग :- (नवें वर्ष रख-रखाव)          |   |         |         | 42175.50  |
| वृक्षारोपण का दसवें वर्ष का रख-रखाव |   |         |         |           |
| 1                                   | रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य | 8 Month | 5100.00 | 41200.00  |
| 2                                   | अन्य कार्य  | 4.8775  | 200.00  | 975.50    |
| योग :- (दसवें वर्ष रख-रखाव)         |   |         |         | 42175.50  |
| कुल योग :-                          |   |         |         | 697465.20 |
| या :-                               |   |         |         | 697400.00 |

Handwritten signature

Handwritten signature  
निर्माण कार्य, लो.नि.वि.  
बरेली

Handwritten signature  
वन क्षेत्र अधिकारी  
बरेली वन प्रभाग, बरेली

Handwritten signature  
वन क्षेत्र अधिकारी  
बरेली वन क्षेत्र

Handwritten signature  
प्रशासक, निर्माण कार्य,  
बरेली वन प्रभाग, बरेली

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।  
(लम्बाई 6.00 किमी०)

**प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण**

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 8.12.2009 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित सिविल बेनाप भूमि, वन भूमि, आरक्षित भूमि, वन पंचायत भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

**प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।**

| क्र. सं.                         | भूमि की श्रेणी  | ल ब्लॉक/कम्पार्टमेंट/खसरा सं० | प्रजाति                     | व्यास वर्ग |           |           |           |           |          |          | योग        |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
|                                  |                 |                               |                             | 10-20      | 20-30     | 30-40     | 40-50     | 50-60     | 60-70    | 70-80    |            |
| 1                                | आरक्षित वन भूमि | सिराड                         | चीड़- Pinus roxhurghii sarg | 7          | 7         | 2         | 4         | 10        | 2        | —        | 32         |
| <b>कुल योग (आरक्षित वन भूमि)</b> |                 |                               |                             | <b>7</b>   | <b>7</b>  | <b>2</b>  | <b>4</b>  | <b>10</b> | <b>2</b> | <b>—</b> | <b>32</b>  |
| 2                                | सिविल सोयम भूमि | चितई तिवाड़ी                  | मेहल                        | 2          | —         | —         | —         | —         | —        | —        | 2          |
| 3                                |                 | चितई पन्त                     | चीड़- Pinus roxhurghii sarg | 47         | 19        | 2         | —         | —         | —        | —        | 68         |
| 4                                |                 | मन्योली                       | चीड़- Pinus roxhurghii sarg | 71         | 12        | 15        | 5         | 5         | —        | —        | 108        |
|                                  |                 |                               | काफल                        | 3          | 1         | —         | —         | —         | —        | —        | 4          |
|                                  |                 |                               | मेहल                        | 1          | —         | —         | —         | —         | —        | —        | 1          |
|                                  |                 |                               | सुरई                        | 1          | —         | —         | —         | —         | —        | —        | 1          |
| 5                                |                 | पूनाकोट                       | चीड़- Pinus roxhurghii sarg | 50         | 47        | 27        | 14        | 2         | —        | —        | 140        |
|                                  |                 | काफल                          | 5                           | 1          | —         | —         | —         | —         | —        | 6        |            |
|                                  |                 | बाड़ी                         | चीड़- Pinus roxhurghii sarg | 28         | 9         | 5         | 2         | —         | —        | —        | 44         |
| <b>कुल योग (सिविल सोयम भूमि)</b> |                 |                               |                             | <b>208</b> | <b>89</b> | <b>49</b> | <b>21</b> | <b>7</b>  | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>374</b> |
| 7                                | वन पंचायत भूमि  | पेटशाल                        | चीड़- Pinus roxhurghii sarg | 16         | 7         | 3         | 1         | —         | —        | —        | 27         |
| <b>कुल योग (वन पंचायत भूमि)</b>  |                 |                               |                             | <b>16</b>  | <b>7</b>  | <b>3</b>  | <b>1</b>  | <b>—</b>  | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>27</b>  |
| 8                                | नाप भूमि        | चितई तिवाड़ी                  | मेहल                        | 1          | —         | —         | —         | —         | —        | —        | 1          |
|                                  |                 |                               | चीड़- Pinus roxhurghii sarg | 1          | —         | —         | —         | —         | —        | —        | 1          |
|                                  |                 |                               | भीमल                        | 3          | —         | —         | —         | —         | —        | —        | 3          |
| 9                                |                 | चितई पन्त                     | चीड़- Pinus roxhurghii sarg | 16         | 14        | 3         | —         | —         | —        | —        | 33         |
|                                  |                 |                               | मेहल                        | 1          | 1         | —         | —         | —         | —        | —        | 2          |

बिन्दु संख्या - 9

|   |         |                             |     |     |    |    |    |   |   |     |
|---|---------|-----------------------------|-----|-----|----|----|----|---|---|-----|
|   | मन्योली | वीड़- Pinus roxhurghii sarg | 104 | 100 | 10 | 7  | 2  | 2 | — | 225 |
|   |         | मेहल                        | 18  | 17  | —  | —  | —  | — | — | 35  |
|   |         | काफल                        | 5   | —   | —  | —  | —  | — | — | 5   |
|   |         | पदम                         | 1   | —   | —  | —  | —  | — | — | 1   |
|   |         | खड़िक                       | —   | 1   | —  | —  | —  | — | — | 1   |
|   |         | वकैन                        | 1   | —   | —  | —  | —  | — | — | 1   |
|   |         | बेड़ू                       | 2   | —   | —  | —  | —  | — | — | 2   |
|   |         | भीमल                        | —   | 1   | —  | —  | —  | — | — | 1   |
|   | पूनाकोट | वीड़- Pinus roxhurghii sarg | 27  | 8   | 8  | 1  | —  | — | — | 44  |
|   |         | काफल                        | —   | 1   | —  | —  | —  | — | — | 1   |
|   |         | वकैन                        | —   | —   | —  | 1  | —  | — | — | 1   |
|   |         | खड़िक                       | —   | —   | 1  | —  | —  | — | — | 1   |
|   |         | मेहल                        | 3   | —   | —  | —  | —  | — | — | 3   |
| कुल योग (वन पंचायत भूमि)                  |         |                             | 183 | 143 | 22 | 9  | 2  | 2 | — | 361 |
| महायोग (आरक्षित+सि०सो०भू०+व०प०भू०+ना०भू०) |         |                             | 414 | 246 | 76 | 35 | 19 | 4 | — | 794 |

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

राजि अधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

अरमोडा वन प्रभाग अरमोडा

अरमोडा

राजस्व विभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी

अरमोडा

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी

अरमोडा वन प्रभाग अरमोडा

अरमोडा

47

विक्रमचिकारी

अरमोडा

तहसिलदार

अरमोडा

प्रारूप-20

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।  
(लम्बाई 6.00 किमी०)

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन।  
आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि / संरक्षित वन भूमि / नाप भूमि  
(आरक्षित वन भूमि)

| क्र०सं० | वृक्ष प्रजाति का नाम        | व्यास वर्ग | वृक्षों की संख्या | दर   | कुल मूल्य |
|---------|-----------------------------|------------|-------------------|------|-----------|
| 1       | घोड़- Pinus roxhurghii sarg | 10-20      | 7                 | 70   | 490       |
|         |                             | 20-30      | 7                 | 310  | 2170      |
|         |                             | 30-40      | 2                 | 1085 | 2170      |
|         |                             | 40-50      | 4                 | 2475 | 9900      |
|         |                             | 50-60      | 10                | 3395 | 33950     |
|         |                             | 60-70      | 2                 | 5560 | 11120     |
|         |                             | कुल योग    | 32                |      | 59800     |

(सिविल सोयम भूमि)

| क्र०सं० | वृक्ष प्रजाति का नाम        | व्यास वर्ग | वृक्षों की संख्या | दर   | कुल मूल्य |
|---------|-----------------------------|------------|-------------------|------|-----------|
| 1       | मेहल                        | 10-20      | 3                 | 20   | 60        |
| 1       | घोड़- Pinus roxhurghii sarg | 10-20      | 196               | 70   | 13720     |
|         |                             | 20-30      | 87                | 310  | 26970     |
|         |                             | 30-40      | 49                | 1085 | 53165     |
|         |                             | 40-50      | 21                | 2475 | 51975     |
|         |                             | 50-60      | 7                 | 3395 | 23765     |
| 2       | काफल                        | 10-20      | 8                 | 65   | 520       |
|         |                             | 20-30      | 2                 | 300  | 600       |
| 3       | सुरई                        | 10-20      | 1                 | 65   | 65        |
|         |                             | कुल योग    | 374               |      | 170840    |

(वन पंचायत भूमि)

| क्र०सं० | वृक्ष प्रजाति का नाम        | व्यास वर्ग | वृक्षों की संख्या | दर   | कुल मूल्य |
|---------|-----------------------------|------------|-------------------|------|-----------|
| 1       | घोड़- Pinus roxhurghii sarg | 10-20      | 16                | 70   | 1120      |
|         |                             | 20-30      | 7                 | 310  | 2170      |
|         |                             | 30-40      | 3                 | 1085 | 3255      |
|         |                             | 40-50      | 1                 | 2475 | 2475      |
|         |                             | कुल योग    | 27                |      | 9020      |

( नाप भूमि )

| क्र०सं०                    | वृक्ष प्रजाति का नाम        | व्यास वर्ग | वृक्षों की संख्या | दर   | कुल मूल्य |
|----------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------|-----------|
| 1                          | चीड़- Pinus roxburghii sarg | 10-20      | 148               | 120  | 17760     |
|                            |                             | 20-30      | 122               | 240  | 29280     |
|                            |                             | 30-40      | 21                | 900  | 18900     |
|                            |                             | 40-50      | 8                 | 1945 | 15560     |
|                            |                             | 50-60      | 2                 | 3445 | 6890      |
|                            |                             | 60-70      | 2                 | 5560 | 11120     |
| 2                          | मेहल                        | 10-20      | 23                | 50   | 1150      |
|                            |                             | 20-30      | 17                | 210  | 3570      |
| 3                          | बेड़ू                       | 10-20      | 2                 | 20   | 40        |
| 4                          | वकैन                        | 10-20      | 1                 | 50   | 50        |
| 5                          | भीमल                        | 10-20      | 3                 | 50   | 150       |
|                            |                             | 20-30      | 1                 | 70   | 70        |
| 6                          | तिमिल                       | 10-20      | 2                 | 65   | 130       |
| 7                          | पदम                         | 10-20      | 1                 | 50   | 50        |
| 8                          | काफल                        | 10-20      | 6                 | 65   | 390       |
| 9                          | खडीक                        | 20-30      | 1                 | 210  | 210       |
|                            |                             | 30-40      | 1                 | 390  | 390       |
| महा योग (सि०सोयम+नाप भूमि) |                             |            | 361               |      | 105710    |
|                            |                             |            | 794               |      | 345370.00 |
| या                         |                             |            |                   |      | 345370.00 |

राजि अधिकारी

*Sanku*  
उपनिर्देशक

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभारी वनाधिकारी

अरमोडा वन प्रभाग, अरमोडा

*02*  
वन वन अधिकारी  
अरमोडा वन प्रभाग

*Sanku*  
प्रभारी वनाधिकारी  
अरमोडा वन प्रभाग, अरमोडा

प्रपत्र-20.1


परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।  
(लम्बाई 6.00 किमी०)


परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

| क्रसं० | क्षेत्र का नाम  | व्यास वर्ग |       |       |       |       |       |       | योग |
|--------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|        |                 | 10-20      | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 |     |
| 1      | आरक्षित वन भूमि | 7          | 7     | 2     | 4     | 10    | 2     | —     | 32  |
| 2      | सिविल बेनाप     | 208        | 89    | 49    | 21    | 7     | —     | —     | 374 |
| 3      | वन पंचायत       | 16         | 7     | 3     | 1     | —     | —     | —     | 27  |
|        | योग             | 231        | 103   | 54    | 26    | 17    | 2     | —     | 433 |
| 4      | नाप भूमि        | 183        | 143   | 22    | 9     | 2     | 2     | —     | 361 |
|        | कुल योग         | 414        | 246   | 76    | 35    | 19    | 4     |       | 794 |

  
राजि अधिकारी

  
प्रसाद अधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित  
  
प्रभागीय वनाधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रारूप-21

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण


| क्र0सं0 | भूमि की श्रेणी   | विद्यमान वृक्षों की संख्या | वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या | विवरण |
|---------|------------------|----------------------------|--|-------|
|         | आरक्षित वन भूमि  | 32                         | 32   | -     |
|         | सिविल सोयम बेनाप | 374                        | 374  | -     |
|         | वन पंचायत        | 27                         | 27   | -     |
|         | संरक्षित वन      | -                          | -  | -     |
|         | योग :- वन भूमि   | 433                        | 433  | -     |
|         | नाप भूमि         | 361                        | 361  | -     |
|         | कुल योग :-       | 794                        | 794  |       |


प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 794 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 794 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

  
अधिकारी अभियन्ता  
प्रयोक्ता एजेन्सी  
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०  
अल्मोड़ा

  
3/10/21

प्रतिहस्ताक्षरित  
प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रभाग  
अधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रभाग

  
सहायक अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०  
अल्मोड़ा

  
वन वन अधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रभाग





**प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता**

- 1: कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।
- 2: कार्य की स्वीकृत लम्बाई:- 6.00 किमी०
- 3: कार्य की लागत:- ₹ 200.16 लाख
- 4: आगणन गठित करने का संदर्भ:- शा०सं०- 572/11(2) /2006-08 प्रा०आ०/06 दि० 28.03.2006 के अनुपालन में।
- 5: लोक सभा क्षेत्र का नाम:- अल्मोड़ा-पिथौरागढ़
- 6: विधान सभा क्षेत्र का नाम:- 52-अल्मोड़ा
- 7: लामान्वित ब्लाक के नाम:- हवालबाग
- 8: लामान्वित ग्रामों का नाम/कोड सं:-

| क०सं० | ग्राम का नाम | जनसंख्या    |
|-------|--------------|-------------|
| 1     | चितई तिवाड़ी | 287         |
| 2     | चितई पन्त    | 348         |
| 3     | मन्योली      | 59          |
| 4     | पूनाकोट      | 561         |
| 5     | पेटशाल बाड़ी | 35          |
|       | <b>योग</b>   | <b>1290</b> |

- 9: आगणन के मुख्य प्राविधान:- मोटर मार्ग का नव निर्माण।
- 10: कार्य विषयक विस्तृत आख्या:- उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शा०दे०-5103(1)/11(2)/11-14(मा०मु०घ०)/11 दि० 26.09.2011 द्वारा किमी० 10.00 लम्बाई हेतु ₹ 126.00 लाख की प्राप्त हुई है, मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर दोनों समरेखनों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है-  
**समरेखन 1:-** इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 10 है० 4-6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी० भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 13 हेमी० 4-6 नौले के पास समाप्त होता है। मार्ग की लम्बाई 7.700 किमी० आती है, परन्तु इस 2.00 किमी० का समरेखन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो०नि०दि०, अल्मोड़ा का पत्रांक-1076/769सी० दि० 5.05.2003 द्वारा स्वीकृत है एवं वन भूमि भी स्वीकृत है। इस पूरे समरेखन में 04न० 15मी० स्पान, 01न० 6मी० स्पान, 01न० 8मी० स्पान तथा 01न० 12मी० स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 6 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। इस समरेखन के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।  
**समरेखन 2:-** इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 10 है० 4-6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी० भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 13 हेमी० 4-6 नौले के पास समाप्त होता है। इस पूरे समरेखन में 03न० 15मी० स्पान, 01न० 6मी० स्पान, तथा 01न० 12मी० स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 10 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है तथा समरेखन की लम्बाई अधिक है। इस समरेखन के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।  
उक्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनाज, सब्जी फल आदि का उत्पादन होता है, परन्तु सड़क न होने से स्थानीय जनता का विपर्जन का कार्य नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा जिला पर्यटन की दृष्टि से भी अग्रणीय है। सड़क बनने से इस क्षेत्र में पर्यटन की भी सम्भावनाएँ हैं। सड़क की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण जनता को यातायात की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा उक्त ग्रामों को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया है।  
समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित कराये जायेंगे।  
उपरोक्त गुण-दोष के आधार पर लाल रंग से दर्शाया गया समरेखन सं०-1 तकनीकी एवं उपर्युक्तता की दृष्टि से अधिक उपर्युक्त होने के कारण अनुमोदन हेतु संस्तुति कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अभियन्ता  
सहायक अभियन्ता,  
निर्माण विभाग, लो०नि०दि० अल्मोड़ा,  
अल्मोड़ा

अभियन्ता  
अभियन्ता,  
निर्माण विभाग, लो०नि०दि० अल्मोड़ा,  
अल्मोड़ा

## NOTE FOR JUSTIFICATION

**परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी०)**

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग ग्राम चितई तिवाड़ी, चितई पन्त, मन्योली, पूनाकोट तथा पेटशाल बाड़ी ग्रामों से होकर गुजरता है जिनकी आबादी 1290 है। यह मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 10 है० 4-6 से प्रारम्भ होता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गांव की महिलाएं पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिये दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात् उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पाएंगी, जिससे कि बच्चों का लालन-पालन तथा पठन-पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूर हो पाएगी। गांव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के और नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्तपादित फल, सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पाएंगे साथ ही गांव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह समरेखन सिविल भूमि (राज्य भूमि) तथा नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। समरेखन के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं पड़ता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी है तथा मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर ली गई है। मार्ग के निर्माण में 1.99875 है० सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 0.270 है०, आरक्षित भूमि 0.170 है० भूमि (कुल 2.43875 है० भूमि) तथा नाप भूमि 2.96125 है० प्रभावित होती है उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम समरेखणों पर विचार किया गया है।


**समरेखन 1:-** इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 10 है० 4-6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी० भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 13 हेमी० 4-6 नौले के पास समाप्त होता है। मार्ग की लम्बाई 7.700 किमी० आती है, परन्तु इस 2.00 किमी० का समरेखन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा का पत्रांक-1076/769सी० दि० 5.05.2003 द्वारा स्वीकृत है एवं वन भूमि भी स्वीकृत है। इस पूरे समरेखन में 04नं० 15मी० स्पान, 01नं० 6मी० स्पान, 01नं० 8मी० स्पान तथा 01नं० 12मी० स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 6 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

**समरेखन 2:-** इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 10 है० 4-6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी० भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 13 हेमी० 4-6 नौले के पास समाप्त होता है। इस पूरे समरेखन में 03नं० 15मी० स्पान, 01नं० 6मी० स्पान, तथा 01नं० 12मी० स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 10 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है तथा समरेखन की लम्बाई अधिक है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं० 2 को निरस्त कर समरेखण 01 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में 2.43875 है० भूमि प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी० तथा चौड़ाई 9.00 मीटर में ली गई हैं। उक्त भूमि में मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रस्तावित सिविल भूमि (राज्य भूमि) का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
नि.ख.लो.नि.वि  
अल्मोड़ा

  
सहायक अभियन्ता  
नि.ख.लो.नि.वि,  
अल्मोड़ा

  
अधिशायी अभियन्ता  
नि.ख.लो.नि.वि  
अल्मोड़ा

Alignment

Name of work- अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग चितई पन्त तिराहे से (हरी दत्त पेटशाली इंटर कालेज से आगे) टशाल तक वैकल्पिक मार्ग। स्वीकृत लम्बाई 8.00 किमी०, वास्तविक लम्बाई 7.700 किमी०

| Sl. No.  | Particular  | Alignment No-1<br>(mark with Red ink)   | Alignment No-2<br>(mark with green ink)       |                              |                                  |
|--|---|---|---|------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Topography  | The road start from Almora-Ghat motor road Hm.4-6 to Haridatt Petshali road and goes Dhargarh, Chitaipant, Chitaitiwari, Pataldevi to Petshal | Same as alignment No.1                        |                              |                                  |
| 2  | Length of Road  | 7.700Km.  | 8.500Km.                                      |                              |                                  |
| 3  | Bridging requirement No. and Length   | 4No. 15M. span, 1No. 6M. span, 1No.8M. span & 1No.12M. span   | 3No. 15M. span, 1No. 60M. span, 1No.12M. span |                              |                                  |
| 4  | Geometric<br>(a) Gradients  | 1:17, 1:20 & 1:24   | 1:15, 1:18 & 1:20                             |                              |                                  |
|  | (b) Curves, H.P. Bends  | 6No. H.P. bends   | 10Nos. H.P. bends                             |                              |                                  |
| 5  | Exiting means of communication, mule path, jeep, Tracks etc.  | All villages connected by bridle road and village path.   | Same as alignment No.1                        |                              |                                  |
| 6  | Right of way, bringing out. Construction on account of built up areas, monuments and other structures | No such construction involved   | Same as alignment No.1                        |                              |                                  |
|  | (a) Terrain & soil condition  | E.&B., O.R., H.R.<br>Hilly Terrain  | E.&B., O.R., H.R.<br>Hilly Terrain            |                              |                                  |
|  | (i) Nature of soil  |   |   |                              |                                  |
|  | (ii) Geology of the area  |   |   |                              |                                  |
|  | (b) Road length passing through   |   |   |                              |                                  |
|  | (i) Mountainous terrain   |   |   | 1.50Km.                      | 2.50Km.                          |
|  | (ii) Steep terrain  |   |   | Nil                          | 1.50Km.                          |
|  | (iii) Rocky stretches with indication of length in loose rocky stretches                              |   |   | 6Km. without rocky stretches | 5.850Km. without rocky stretches |
| (iv) Area subject to landslides and snow drift | -   | -   |   |                              |                                  |
| (v) Slip Zone Area                             | -   | 0.150Km.  |   |                              |                                  |
|  | Streams and gorges  | -   | -   |                              |                                  |


|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>(vii) Drainage characteristics of the area including susceptibility to flooding<br/>                 (viii) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and descends<br/>                 (ix) Variations extants and types</p>  | <p>Area has good drainage through country slopes and no susceptibility to flooding<br/>                 Maximum height is 1450M.<br/>                 Maximum height is 1250M.</p> <p>5.775Km Nap land,<br/>                 0.575Km. Nazul land,<br/>                 0.700Km. forest panchayat<br/>                 0.650Km. Reserve forest</p> | <p>Same as alignment No. 1</p> <p>Maximum height is 1450M.<br/>                 Maximum height is 1250M.</p> <p>3.875Km. Nap land, 1.775Km. Nazul land, 1.075Km. forest panchayat, 1.775Km. Reserve forest</p>                |
| <p>8 Climate condition:<br/>                 (a) Temperature monthly max. &amp; min. reading.<br/>                 (b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available)<br/>                 (c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available)<br/>                 (d) Wind direction and velocities<br/>                 (e) Fog condition<br/>                 (f) Exposure to sun<br/>                 Unusual weather conditions like cloud burst etc.</p> | <p>Mostly hot in summer and very cold in winter<br/>                 Negligible Rain fall</p> <p>Negligible snow fall</p> <p>Record not available</p> <p>Fog remain during rains</p> <p>Almost in all the year</p> <p>Nil</p>   | <p>Mostly hot in summer and very cold in winter<br/>                 Negligible Rain fall</p> <p>Negligible snow fall</p> <p>Record not available</p> <p>Fog remain during rains</p> <p>Almost in all the year</p> <p>Nil</p> |
| <p>Facilities resources<br/>                 a) Landing ground<br/>                 b) Dropping Zone<br/>                 c) Food stuffs<br/>                 d) Labour local availability and need for port</p>   | <p>Not available<br/>                 Not available<br/>                 Crops, vegetables, fruits, Milk production area<br/>                 Local &amp; Nepali labour also available</p>  | <p>Not available<br/>                 Not available<br/>                 Crops, vegetables, fruits Milk production area<br/>                 Same as alignment No. 1</p>  |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | (c) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, stone, shingle etc. extent of their availability and lead involved)  | Stone for const. R/W will be available within average lead of 1½Km. sand is available from Haldwani gola river quarry. | Same as alignment No.1   |
| 10 | Value of land, agricultural land, Irrigated land, built up land, forest land etc.   | Agricultural land-5.775Km<br>Irrigated land- Nil<br>Built up land- Nil<br>F. land & F.P., R.F.-1.925Km.                | Agricultural land-3.875Km.<br>Irrigated land- Nil<br>Built up land- Nil<br>F. land & F.P., R.F.-4.625Km. |
| 11 | Approximate Const. Cost   | Total cost Rs.296.36 lacs  | Total cost Rs.414.88 lacs  |
| 12 | Access point indicating possibility of induction of equipment   | Can reach upto moteable terminal near Almora at present  | Same as alignment No.1   |
| 13 | Period required for construction  | Approx.2years after transfer of land.  | Same as alignment No.1   |
| 14 | Strategic Consideration   | To provide better communication  | Same as alignment No.1   |
| 15 | Important villages, towns and markets centres to be connected   | All villages will be connected by motor road and Tehsil & Distt. head quarter.   | Same as alignment No.1   |
| 16 | Recreational potential  | Nothing at present   | Same as alignment No.1   |
| 17 | Economic Factors:<br>(a) Population served by the alignment<br><br>(b) Agricultures and economic potential of the area  | Appx.400<br><br>Limited at present. However it is expected to increase after construction of road.                     | Appx.300<br><br>Same as alignment No.1   |
| 18 | Other major development projects being taken up electric projects etc.  | Nil  | Nil  |
| 19 | (i) Misc. such as camping sites<br>(ii) Law and other problem<br>(iii) Royalty<br>(iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material | Nil<br>Nil<br>Nil<br>Local contractor are available for the work.  | Nil<br>Nil<br>Nil<br>Local contractor are available for the work.  |

वि-5 संख्या-3

|   |  |   |
|---|--|---|
| (v) Working period available for construction of work | Almost whole the year except rainy season.   | Almost whole the year except rainy season.  |
| 20 Merits   | 1-Hill side slope easy and no steep zone fall in this alignment.<br>2-Less cost involved in this alignment.<br>3- Easy grades involved.<br>4-Minimum agricultural length effected from this alignment. | Nil   |
| 21 Demerits   | Nil  | 1-More cost involved in this alignment.<br>2- Slip grades involved.<br>3-More forest land effected.<br>4-More length of the alignment which is costly.<br>5-More agricultural length effected from this alignment.<br>6- In this alignment 10H.P. bends involved & 60M. span steel girder bridge will be made.<br>7- 0.150Km. sliding zone. |

RECOMMENDATIONS:  
 Alignment no. (1) shown with red ink is hereby recommended for approval being more useful & technically feasible.


  
 Engineer  
 P.W.D.  
 Almora

  
 Assistant Engineer  
 C.D., P.W.D.,  
 Almora

  
 Executive Engineer  
 C.D., P.W.D.,  
 Almora

अल्मोजा-घाट मोटर मार्ग के चितई तिराहे से  
 (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे)  
 पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग (ल0 6.00 किमी0)

मिडू संख्या-5



**Proposed Road Alignment**  
**Alternate Road Alignment**

Handwritten notes and stamps in Hindi, including 'नया विकारो बरवादा.', 'विकारो कालेज', and various official stamps.